(11) (11)

कार्यालय क्षेत्र अभियोजन अधिकारी, कान्पुर देहात।
पत्रांक- 04 /अधि०-मा०-कार्यमुक्त/मोटर/कार्य/2010, दिनांक-जनवरी 06, 2010

आदेश

पीठ हेतु आदेश, 2010, उत्तरप्रदेश द्वारा अपीलित 2010 न्यायिक मोटर वाहन-2006 के आधार पर विभिन्न मा० दुर्घटना० के पद पर चयन के कारण इस जनपद में नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विभागी को कार्यमुक्त किये जाने विषयक अभियोजन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-एन-डी-एपीओ-कार्यमुक्त-2009/36/09, दिनांक-05 जनवरी, 2010 को शासन के पत्र संख्या-3269/वि-पु-9-09-31 (1071/99, दिनांकित 04-1-2010 के क्रम में जारी किया गया है, के अनुसार 2010 न्यायिक मोटर वाहन-2006 द्वारा विभिन्न मा० दुर्घटना० के पद पर चयन हो जाने के कारण श्री विभागी, सहायक अभियोजन अधिकारी, कान्पुर देहात को इस शर्त के साथ विमुक्त कार्यमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है, कि श्री विभागी का अभियोजन विभाग की सेवा में 05 वर्ष का अवधि, न्यायिक पद पर स्थायी होने तक, अर्थात् वे जो भी पहले हो, कार्यरत/कार्यरत/नियत/कार्यरत रहेंगे।

अतः उक्त के अनुपालन में श्री विभागी, सहायक अभियोजन अधिकारी, कान्पुर देहात को आज दिनांक-06-1-2010 को अपरान्ह में का जनपद/विभाग के न्यायिक अधिकारी-प्रथम श्रेणी फैजाबाद के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

क्षेत्र अभियोजन अधिकारी,
कान्पुर देहात।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1-कार्यालय अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को उनके कार्यालय पत्र संख्या-एन-डी-एपीओ-कार्यमुक्त-2009/36/09, दिनांकित 05 जनवरी, 2010 के सन्दर्भ में।
2-कार्यालय, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3-जनपद न्यायाधीश, फैजाबाद।
4-जिलाधिकारी, कान्पुर देहात।
5-अपर निदेशक अभियोजन, कान्पुर परिक्षेत्र, कान्पुर।
6-श्री विभागी, सहायक अभियोजन अधिकारी, को अनुपालनार्थ।

क्षेत्र अभियोजन अधिकारी,
कान्पुर देहात।

E-कुमार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. [illegible]
(महिला के विरुद्ध [illegible])